समस्त डिप्ति कमिश्नर वाणिज्य कर्र
समस्त अधिस्टेट कमिश्नर वाणिज्य कर्र
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुमंग-8 द्वारा जारी अवधिसूचना संख्या 96/2015/181(120)/xxvii(3)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मुल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं/27 वर्ष 2005) की धारा 4 की लागत 
(5) सम्पन्न उत्तराखण्ड सरकार सुनिश्चित करने वाली अधिनियम, 1994 (अधिनियम सं/01 वर्ष 1994) (उत्तराखण्ड 
राज्य में वापस प्रत्यक्ष) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अवधिसूचना के संदर्भ में 
प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुमूली-1 एवं अनुमूली-11 (ख) के सम्बन्ध में 
संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अवधिसूचना की चालाप्रति आयोग इस आश्वय से प्रतिष्ठित है कि द्वारा दिये
गये दिशा-निर्देशानुसार अवधियों कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।
संकल्प-द्वितीयकारण।

(पीयुष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
1- विभाग, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2- महामार्की, उत्तराखण्ड वैभव वैधानिक, इंद्रायनगर, देहरादून।
3- अध्याय/ नवदरा वाणिज्य कर अधिकारी, देहरादून/हद्दा।
4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर महामार्की जीन देहरादून/ कूमांड जोन कानपुर।
5- एडिशनल कमिश्नर (आडीट/प्रदर्शन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6- ज्वाइट कमिशनर(कार्यालय) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/कानपुर/हद्दा। निष्कर्ष के लिए 
या समय के लिए प्रतिष्ठित है कि उत्तर अवधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कारकर अपने 
अधिनयन समस्त कर-निर्देशीय अधिकारियों/वार एयोवेडेंशन के प्रदर्शनकारी/वायारी 
सांगतों के अध्ययन/सांवह को उपलब्ध कराने का काम करें।
7- ज्वाइट कमिशनर(आडीट) वाणिज्य कर, देहरादून/हद्दान।
8- ज्वाइट कमिशनर(बिजनेस/प्रत्यावृत्ति) वाणिज्य कर, हरिद्वार/सूदपुर को एयोवेडेंशन के 
लिए प्रतिष्ठित है कि उत्तर अवधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कारकर अपने अधिनयन समस्त 
अधिकारियों को उपलब्ध कराने का काम करें।

-2-
9— श्री शहाब अहली, हिंदी कमिश्नर (विभि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को निम्नान्ती Website पर Update करने हेतु।
10— निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन समारोह उत्तराखण्ड रूढ़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
11— आईडीटीए-अनुमान गुण्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अभिसूचना स्थान कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
12—Intavatt Info. Pvt. 4 फ्लोर बैनर (2nd Floor) 13— आई सिंधुआ मांग मुबाई-400001 नवाबाबुद।
13—National Law House भी-2 मॉडल ज्याजा विश्वविद्यालय अंबेडकर रूढ़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
14—National Law and Management House 15/5 जानकीर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
15—Swastik Publication एसयूई-233, शाहरुख नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
16—Law Book Traders 10—नगर निगम कंसर्वेंट केंद्र नगर रोड में 70 प्रो।
17—डाक्टर कम्पनीउच्च न्यायालय नागपुर कार्यालय वाणिज्य कर, नैनिताल।
18—अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सर्वा इंडस्ट्रीज, माहबुबाबाद और दीनिक में।
19—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री व्यासस्वी हाइडेवर गांधी रोड देहरादून।
20—दूत उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नामस्या ऑटोमोबाइल लाभों पर रोड देहरादून।
21— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीनिक द्रुतिंग कम्पनी 81—गोली बाजार देहरादून।
22—The whole sale dealers Association 19—आज़ा बाजार देहरादून।
23— प्रान्तीय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
24— कार्यालय अधीक्षक /विधि—अनुमान की गार्ड फाइल हेतु।
25— समस्त अनुमान अधिकारी मुख्यालय।

प्रमुख कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
उत्तराखण्ड शासन
शिशु अनुभाग-8
S/0 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08
देशपुरा - दिनाजपुर 2015

अधिसूचना
बृहत राज्य सरकार का निर्देश हो गया है कि लोग हित में ऐसा करना सही है।

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड भुख्म विभाग कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं/4) 27 वर्ष 2005) की तारीख 4 की उपद्रव [4] स्थानिक उपर रद्द हुआ सामान्य रूप अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं/1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रभाव) की धारा 21 द्वारा प्रकट शिक्षकों को प्राप्त करते हैं। इस अधिसूचना के अधीन में प्रकाशण का तारिख यह, भुख्म विभाग कर अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 (ख) में निम्नलिखित संरचना करने की सहभागिता स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संरचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र/सं.</th>
<th>अनुसूची</th>
<th>अनुसूची में प्रकाशन प्रमिति</th>
<th>प्रमाण उपकरण</th>
<th>संरचना प्रमिति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>I</td>
<td>1. फूलों द्वारा विशिष्ट गांव तथा इस अधिनियम की रणनीति कुछ दृष्टियों से उत्तराखण्ड कृषि उपकरणों के अनुसार नवम्बर वा बस्तु या ट्रक्टर द्वारा चालित की अपडेट करें।</td>
<td>1. इस अधिनियम की किसी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित भुख्म विभाग के अधिकार इस द्वारा अथवा पशु या ट्रक्टर से संगणित कृषि उपकरण (पिंजरे की किसी भी वस्तु जैसे किसी के पार्टिसट्र तथा एसोसिएशन सम्मिलित नहीं है)।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>3</td>
<td>7. मुख्यमंत्री का कृषि पर और थाहद</td>
<td>7. (i) वाहन (ट्रक) के परिवहन, खेती, चीन के कृषि, अग्नि अवधारणा के अनुसार समभावन की दृष्टि से वाहन मुख्‌यमंत्री का कृषि पर और थाहद।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>I</td>
<td>55. स्टोर(जिसमें लैक्सनमात्र सम्मिलित नहीं है), स्टोर रेतिलिश तत्काल और लेखन के खचुल एवं हैटर।</td>
<td>55. स्टोर(जिसमें लैक्सनमात्र सम्मिलित नहीं है) और फोटो शेड।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>II(B)</td>
<td>8- सभी प्रस्तुतनु, तथा परिस्थित संदर्भों, शाखाओं का मानकीय मार्ग तथा फल जिनमें कच्चे वस्तु, जैसे, तैल, तरंग, दिस्क, फलों के पेंट, फलों का रस और अन्य अवस्था (वाहन बना बदल किए गए हैं अथवा इत्यादि) इसी सम्मिलित है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त परिवर्तन, स्थानीय तथा फलित नियमों का जेन, जैसे, फलों का रस और अन्य अवस्था सम्मिलित है परन्तु जिसमें सभी प्रकार के वस्तु, फोटो शेड, बनाया जिन्दा तथा अन्य प्रकार के फल व शिक्षकों के विभिन्न सम्मिलित नहीं हैं (लागल दर्जे एवं सूची कर्जों में ही अथवा अन्याय)।
| 5. | II(त्र) | 8. ढड़घरात घातुओं को ज्योतिष अनुसार तत्त्वविज्ञान, छोटा व इसका, जामिनिक तथा अन्य सामग्री से बने समस्या के साथ (जिसमें प्रेम और शैली के नियम में समन्वित हैं)। वालिडेट या काटेनर्स, और इवर्गामेट के लिये। |
| 6. | II(भ) | 9. "संन्यास के साधन जिसमें (क) कल्याण, पंख खेल, खेलोनियत दौड़, जामिनिक से बने बल्ले, खिलाड़ी, कार्यक, तीरी जैसे, धारा, (ख) धारा और खेलोनियत कल्याण से बने नई रूप में (प) जूते एवं नहीं बनने देए दात व बोरे। (व) नेमिटिक जूत के बोरे, (ह) खाली ग्लास बोतल एवं गिरफ्तार भी समन्वित है।" |
| 7. | II(स) | 41. "हंस, जीविकायों और खाद्यविभागिता पर निर्भर (प) निर्भर, जीवित इंसानों तथा सूचनाओं के बिना, विविध रूप अधिकारियों, अधिकारियों का बुध मानचित्र के अथवा उपस्थित हो। और आईपीएनॉर्मेन्ट का होना लक्षित कराने की क्षमता।" |
| 8. | II(ब) | 125—सेवन उपकरण, व्यावसायिक रियर, एवं जोदियों, रासों की शैक्षिक, व्यक्तिक की लेखक और व्यापारिक, गणितीय, वर्ण, व्यक्तिक शैक्षिक और एक उपकरण और योग। |
| 9. | II(बी) | 133—व्यापारिक उपकरण अथवा शैक्षिक बोरे, प्लास्टिक, हाइड्रो एवं मूषात्मक जोड़ी से निर्मित जूत एवं और व्यापारिक फाइबर और पार्टिकल चिप्स।"
<table>
<thead>
<tr>
<th>सीढ़ियों के तुप्पे वाले चौकीकार व पारिस्थितिक बोझों एवं कुल अत:प्रदर्शित दृश्यों का शुद्ध प्रकाशित पत्र पर जिनके तीन दिवस के विज्ञापन से मिलते ग्रामीण बोझ के विकास व पारिस्थितिक प्रभाव।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(पत्रकार का) अपर मुख साहिब।

सं 96/2015/181(120) /XXVII(8)/2008 तुड़विगाल।
प्रतीचित—निम्नलिखित को सुननाम एवं आयोजक अध्यापक हेठु प्रशिक्षित—
1—सायन, कर, उत्तराखंड, देहरादून का इस आवागम से कि वे अपने स्तर से सरकारी प्रविष्टियों, अन्तः बच्चों के बिना किसी संस्था की आवश्यकता की हिंदी/अरबी प्रतियों इस आवागम से प्रशिक्षित कि वे अपना असाधारण नामक अनुमान—8 में अर्थलय उपलब्ध करें।
2—माना अनुमान, उत्तराखंड साहिब।
3—नामांकन करें, उत्तराखंड साहिब।
4—एन.एं.एन.एन.ए।
5—गाउंचार्ट हेंडु।

(पत्रकार का) अपर मुख साहिब।
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. Q 6 / 2015 (120)/ XXVII (8)/ 08 dated 20 JANUARY 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. Q 6 / 2014/ 181 (120) / XXVII (8) / 08
Dehradun :: Dated: 20 JANUARY 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendments

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Schedule</th>
<th>Sl. No. and the existing entry in the schedule</th>
<th>Amended / Added Entry</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>I</td>
<td>1. Car driven by animal and agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven.</td>
<td>1. Agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven (excluding parts and accessories thereof which are made of wood or timber).</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>I</td>
<td>7. Beehive and honey</td>
<td>7. (i) Honey (ii) Beehive made of timber or wood of kinds/ species other than, Teak, Deodar, Sal, Sheesham, Kail or Sain.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>I</td>
<td>55. Slate (excluding writing boards), slate pencils, takhti and wooden scale &amp; duster</td>
<td>55. Slate (excluding writing boards) and slate pencils</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>II(B)</td>
<td>6- All processed and preserved vegetables, vegetable mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar (whether in sealed containers or otherwise)</td>
<td>6- All processed and preserved vegetables, mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar but excluding all type of sauce and potato chips, banana chips and other fruit and vegetable chips</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II (B)</td>
<td>8. All utensils (including pressure cookers/pans), buckets and containers made of aluminium, iron and steel, plastic and other materials except precious metals and enameled utensils</td>
<td>II (B)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II (B)</td>
<td>9. Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags (e) empty glass bottle and phials</td>
<td>II (B)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II (B)</td>
<td>41. Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani ) including vaccines, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license and light liquid paraffin of IP grade</td>
<td>II (B)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II (B)</td>
<td>125- Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and</td>
<td>II (B)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus</td>
<td>Survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus (excluding such above products which are made of wood or timber)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>11(B)</td>
<td>133- <strong>Plywood product namely block board, flush door, veneer and plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse and fiber boards and particle boards made out of timber of agro based trees such as eucalyptus and poplar.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>133- Plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>11(B)</td>
<td>145- Moulded plastic footwear, hawai chappals and their straps</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Rakesh Sharma)  
Additional Chief Secretary.